



HAMIRPUR POLICE



:::08 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी:::

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 09/11/2020 को अपर जिला मजिस्ट्रेट वि०/रा०), हमीरपुर द्वारा निम्नलिखित गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है।

पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक न ही जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे, उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

- 1) प्रमोद पुत्र जगत सिंह नि० कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।
- 2) भवानदीन प्रजापति पुत्र शिव प्रसाद नि० ग्राम इंगोहटा थाना सुमेरपुर।
- 3) श्यामबाबू कुशवाहा पुत्र छिद्दू कुशवाहा नि० ग्राम न्यूरिया थाना बिवांरा।
- 4) धीरू नाई पुत्र श्यामलाल नाई नि० पटनऊ कस्बा व थाना राठा।
- 5) भगवानदीन पुत्र नन्दराम नि० ग्राम बसवारी थाना मुस्करा।
- 6) नरेश मुखिया पुत्र महेश्वरी प्रसाद राजपूत नि०टोलारावत थाना मझगवां।
- 7) रामकृपाल पुत्र बाबूलाल नि० ग्राम अटगांव थाना मझगवां।
- 8) भगत सिंह पर सीताराम लोधी नि० ग्राम खेडाशिलाजीत थाना जरिया हमीरपुर